



2026:AHC:16480

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2223 वर्ष 2026

कुँवरपाल सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, श्री विवेक शुक्ला

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची का पुनरीक्षण किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. श्री अमित डागा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री देवेश कुमार शर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा श्री विवेक शुक्ला, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 118 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना-छाता, जनपद-मथुरा में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक :

4. अभियोजन कथानुसार, आवेदक ने अन्य दो सह-अभियुक्तगण, जिनके नाम शेर सिंह एवं ईश्वर हैं, के साथ मिलकर दिनांक 08.03.2025 को प्रातः लगभग 10:30 बजे सूचनाकर्ता के चाचा भारत सिंह उर्फ पप्पू की हत्या कर दी।

आवेदक की ओर से तर्क :

5. आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से उसका कोई संबंध नहीं है।
6. प्राथमिकी लगभग आठ घंटे की विलम्ब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
7. वर्तमान प्राथमिकी इस तथ्य से भी विवादित हो जाती है कि सूचनाकर्ता भगत सिंह ने स्वयं मोबाइल नंबर 8006053313 से डेल्टा कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि गांव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसे सामान्य डायरी संख्या 12 दिनांक 08.03.2025 समय 12:00 बजे दर्ज किया गया।

8. तत्पश्चात पंचनामा कार्यवाही की गई, जो उसी दिन 02:10 बजे पूर्ण कर ली गई। उक्त पंचनामा कार्यवाही में सूचनाकर्ता पंच गवाह संख्या-1 तथा शिव चरण पंच गवाह संख्या-2 थे, परन्तु उस समय किसी ने भी आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। इस प्रकार बाद में आवेदक का नाम शामिल किया जाना स्पष्ट रूप से बाद में सोची गई बात (afterthought) है।
9. आवेदक के विरुद्ध दर्शाए गए एक आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण शपथपत्र में दिया गया है।
10. आवेदक दिनांक 08.03.2025 से कारागार में निरुद्ध है।
11. यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

सूचनाकर्ता एवं राज्य की ओर से तर्क :

12. विपक्षी पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया गया।

निष्कर्ष :

13. प्रकरण **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क, अपराध की प्रकृति, दण्ड की गंभीरता, प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सूचनाकर्ता एवं शिव चरण, जो पंच गवाह संख्या 1 एवं 2 थे, ने पंचनामा कार्यवाही के दौरान आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया, प्रथम दृष्टया यह न्यायालय पाता है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।
15. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **कुँवरपाल सिंह**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।